तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.s.Act Case No.36/2024**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
17.10.2024	पत्रावली पेश हुई। श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी सवाराम पुत्र वीरमाराम जी देवासी, जाति– देवासी, निवासी– तेलपुर, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, फर्म आबूराज दूध डेयरी एण्ड बेकरी, बस स्टेण्ड़, वीरवाडा, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही अनुपस्थित। आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी के विरुद्ध आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव द्वारा दिनांक 06.9.2023 को फर्म आबूराज दूध डेयरी एण्ड बेकरी, बस स्टेण्ड़, वीरवाडा, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही में प्रतिवादी विक्रेता सवाराम पुत्र वीरमाराम जी देवासी, जाति– देवासी, निवासी– तेलपुर से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ Ghee का नमूना संख्या S-2193, खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की विश्लेषण जांच रिपोर्ट क्रमांक:**L.S./2488/Act/2023/2525** दिनांक 22.9.2023 में अमानक (sub-standard) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादी पर जुर्माना अधिरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाया। जिस पर प्रकरण की सुनवाई के दौरान प्रतिवादी सवाराम इस न्यायालय में उपस्थित हुआ। प्रकरण में प्रतिवादी सवाराम ने नियत तिथि 09.10.2024 को इस न्यायालय में जुर्म स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण के निस्तारण का अनुरोध किया। जिस पर प्रतिवादी को सुना गया। उसने अनुरोध किया कि वह आस–पास के गांवों से दूध खरीद कर घी बनाता है जिसमें कोई मिलावट नही की है। अतः कम से कम जुर्माना कर प्रकरण का निस्तारण करावे। हमनें पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही द्वारा दिनांक 06.9.2023 को खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु फर्म आबूराज डेयरी एण्ड बेकरी, बस स्टेण्ड़, वीरवाडा, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही पर गये। फर्म आबूराज दूध डेयरी एण्ड बेकरी, बस स्टेण्ड़, वीरवाडा, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही में प्रतिवादी विक्रेता व प्रोपराईटर की हैसियत से प्रतिवादी सवाराम पुत्र वीरमाराम जी देवासी उपस्थित मिले। आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म आबूराज दूध डेयरी एण्ड बेकरी, बस स्टेण्ड़, वीरवाडा, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही की दुकान के निरीक्षण के दौरान दुकान के अन्दर आम जन के बिक्री हेतु एक स्टील की बरनी में रखे हुए खाद्य पदार्थ Ghee (Loose) लगभग 9–10 किलोग्राम में मिलावट का शक होने पर उक्त स्टील की बरनी में रखे हुए Ghee (Loose) में से 2 किलोग्राम खाद्य पदार्थ Ghee को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु गवाह के समक्ष कीमतन क्रय कर विधिवत ......लगातार	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.07.03 11:11:24 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय खाद्य जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज.)

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.s.Act Case No.36/2024**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए

कार्यवाही करते हुए खाद्य पदार्थ Ghee के नमूना संख्या S-2193 को जांच हेतु खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को भिजवाया, जो खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांकः**L.S./2488/Act/2023/2525** दिनांक 22.9.2023 में अमानक (Sub-standard) पाया गया है। इस प्रकार प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रतिवादी सवाराम पुत्र वीरमाराम जी देवासी, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, फर्म आबूराज दूध डेयरी एण्ड बेकरी, बस स्टेण्ड़, वीरवाडा ने अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ Ghee का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

आदेश

अतः हस्तगत न्याय निर्णयन आवेदन अर्न्तगत धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विरुद्ध प्रतिवादी सवाराम स्वीकार किया जाकर उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत अमानक (sub-standard) खाद्य पदार्थ Ghee के विक्रय हेतु प्रतिवादी सवाराम पुत्र वीरमाराम जी देवासी, जाति– देवासी, निवासी– तेलपुर, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म आबूराज दूध डेयरी एण्ड बेकरी, बस स्टैण्ड़, वीरवाडा, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 21,000/– (अक्षरे रुपये इक्कीस हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, प्रतिवादी सवाराम पुत्र वीरमाराम जी देवासी, जाति– देवासी, निवासी– तेलपुर, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म आबूराज दूध डेयरी एण्ड बेकरी, बस स्टण्ड़, वीरवाडा, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त अधिरोपित शास्ति (Penalty) की राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 15 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 22.11..2024 को पेश हो।

(डॉ. दिनेश राय सापेला)
अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.07.03 11:11:24 IST
Reason: SelfAttested